भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *317

सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक)

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय कैरियर सेवा से संबंधित बुनियादी ढांचा

***317. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश में मेगा डीएससी-2025 शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जानकारी है और इसके परिणामस्वरूप कार्यबल में योग्य युवाओं को शामिल किए जाने में होने वाले विलंब के कारण पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के विगत दो वर्षों के आंकड़े से यह पता चलता है कि आन्ध्र प्रदेश में नौकरी पाने के इच्छुक लोगों में संकट एवं तनाव की स्थिति बढ़ रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त संकट से निपटने के लिए राज्य की वर्तमान एनसीएस संबंधी अवसंरचना का पर्याप्त विस्तार किया गया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ मनसुख मांडविया)

(क) एवं (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

"आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय कैरियर सेवा से संबंधित बुनियादी ढांचा" के संबंध में सांसद श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी द्वारा दिनांक 10.08.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *317 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय है, जिसके कारण देश के अधिकांश विद्यालय संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। तदनुसार, शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तों और तैनाती से संबंधित मामले संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

शिक्षा मंत्रालय प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को शिक्षकों की भर्ती और स्थानांतरण के लिए एक पारदर्शी, सुदृढ़ और अधिमानतः ऑनलाइन प्रणाली का पालन करने की सलाह देता है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने तथा अनियमितताओं को रोकने के लिए, संसद द्वारा अधिनियमित सार्वजनिक परीक्षाएँ (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को समय-समय पर संशोधित किया गया है। सार्वजनिक परीक्षाएँ (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024, में उद्देश्यों और कारणों के विवरण में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था कि यह विधेयक राज्यों द्वारा अपने विवेकानुसार अपनाए जाने के लिए एक आदर्श प्रारूप के रूप में कार्य करेगा।

इसके अलावा, भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आधिकारिक अनुमान 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से प्राप्त होते हैं।

नवीनतम पीएलएफएस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2024 में 55.8% से बढ़कर वर्ष 2025 में 58.3% हो गया है।

राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल देश भर के सभी हितधारकों को निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए एक वन-स्टॉप समाधान है।

एनसीएस परियोजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, देश में रोजगार कार्यालयों के परिवर्तन के माध्यम से आदर्श करियर केंद्रों (एमसीसी) की स्थापना की परिकल्पना की गई है ताकि राज्य और अन्य संस्थानों के सहयोग से रोजगार चाहने वालों और नियोक्ताओं को आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से ऑनलाइन/ऑफलाइन रोजगार मेलों का आयोजन करने, नियोक्ताओं को जुटाने, स्थानीय स्तर पर ऑनलाइन/ऑफलाइन करियर परामर्श प्रदान करने जैसी करियर संबंधी सेवाएं प्रदान की जा सकें। अब तक, सरकार ने 407 मॉडल करियर केन्द्रों (आंध्र प्रदेश में 30 एमसीसी सहित) को स्वीकृति दी है।

इसके अतिरिक्त, वर्तमान में 31 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (आंध्र प्रदेश सहित) एनसीएस पोर्टल के साथ एकीकृत हो चुके हैं, जिनमें 8 राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जो एनसीएस पोर्टल का सीधे उपयोग कर रहे हैं।

मंत्रालय ने कई सार्वजनिक और निजी नियोक्ताओं/पोर्टलों/प्लेटफ़ॉर्मों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि सभी रोजगार चाहने वालों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को सुदृढ़ बनाया जा सके। अब तक, कई भागीदारों जैसे अपना, स्विगी, रैपिडो, ज़ोमैटो, अमेज़न, टीसीएस आईओएन, क्विकर और फाउंडइट (मॉन्स्टर) सहित 40 से अधिक अन्य कई भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन समझौतों से एनसीएस पोर्टल पर रोजगार के अवसरों तथा रिक्तियों के एकत्रीकरण, रोजगार मेलों के आयोजन, कौशल विकास कार्यक्रमों, करियर परामर्श तथा रोजगार से संबंधित अन्य सहायक सेवाओं के एकीकरण में सहायता मिलती है।
